

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

91/2021/प्रा.पत्र/2021

16.11.2021

06.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगल उद्योग पुलिस थाने के पास उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 19 सदर बाजार रघुनाथजी के मन्दिर के पास उनियारा जिला टोंक राज.

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
- 2—अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 06.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.09.2021 को समय 01:11 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मंगल उद्योग पुलिस थाने के पास उनियारा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहाँ श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स मंगल उद्योग पुलिस थाने के पास उनियारा जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर आवेदक को खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर, घी, दाल व तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand)** 10-10 किलोग्राम के 100 प्लास्टिक के कट्टे रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर श्री मुकेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किए जा रहे हैं, 10-10

1715



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किलोग्राम के 1 प्लास्टिक के कट्टे का चयन कर कुल 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद राशि देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा व चयन शुदा 2 किलोग्राम गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand) को 500-500 ग्राम को अलग-अलग चार प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर डिब्बों के ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2898 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई-2898 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।


आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3055 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1089/एक्ट/2021/1073 दिनांक 22.09.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर मिथ्याछाप (Mis-Branded) का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।




1716


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया गेहूँ आटा मंगल कलश ब्राण्ड (Wheat Flour mangal Kalash Brand) नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगल उद्योग पुलिस थाने के पास उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 19 सदर बाजार रघुनाथजी के मन्दिर के पास उनियारा जिला टोंक पर शारित रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(परशुराम धानुका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०